



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935

No. 560]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 655(अ).—आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 2 जून, 2014 को नियत दिन के रूप में निश्चित करती है।

[फा. सं. 12012/1/2014-एस.आर.]

स. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 655(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the Central Government hereby appoints the 2nd day of June, 2014, as the appointed day for the purposes of the said Act.

[F.No. 12012/1/2014-SR]

S. SURESH KUMAR, Jt. Secy.